

12.18 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE RE: A LETTER ALLEGED TO HAVE BEEN WRITTEN BY EMPLOYEES OF HINDALCO TO THE PRESIDENT OF HINDALCO

श्रम जनसंघ विश्व (दिल्ली/बाद)
 अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 222 के तहत विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मैंने बुधवार 2 मई को वित्त विधेयक पर बोलत हुए व्यापार और सरकार के बीच से हुए कई प्रकार के सम्बन्धों का जिक्र किया था तथा उससे उत्पन्न भ्रष्टाचार की स्थिति को लेकर उत्तर प्रदेश के हिन्दालको, मिर्जापुर के कर्मचारियों की चिट्ठी हिन्दालको के सबसे बड़े अधिकारी श्री कोठारी के नाम लिखी गई, पढ़कर सुनाया। जिस सिलसिले में वित्त मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम ने बतौर स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री का एक पत्र जो धाप के नाम लिखा गया है, वित्त विधेयक का जवाब देने हुए, उसका हवाला दिया। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जिस चिट्ठी का मैंने हवाला दिया है, वह जायी है। मैं समझता हूँ कि यह धारोप मिथ्या है और जानबूझ कर मुझे बदनाम करने के लिये ऐंजा किया गया है। प्रधान मंत्री जी ने अपने पत्र में राज्य सभा के सदस्य श्री राजवर्मायण का भी जिक्र किया है जिस में उन्होंने कहा है कि श्री राजनारायण ने भी इस प्रवाल को उठाया था, लेकिन चिट्ठी की फोटो कापी के बजाय जब उन से मूल कपी माँगी गयी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने श्री राजनारायण से सम्पर्क किया।

उनका कहना है कि उनसे कभी प्रतिमूल मानी नहीं गई। इस तरह से प्रधान मंत्री जी ने तथा वित्त मंत्री जी ने मिथ्या भाषण के द्वारा सदन को भ्रमराह किया है।

मेरे पास श्री राजनारायण जी का वह पत्र है जो उन्होंने धाप के पास लिखा है। मैं उस पत्र को यहाँ पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ—

“मुझे समाचार पत्रों में प्रधान मंत्री के एक नकली बनावटी पत्र के बारे में समाचार इकट्ठे क मिला कि उन्होंने हिन्दालको के सम्बन्ध में उस पत्र की मूलप्रति माँगी जिस पत्र में उनके पी० एच० का पांच लाख रुपया श्री ठी० पी० भगत और बी० एन सम्सेना द्वारा दिया गया है। वह पत्र 7-11-67 का है। इस सम्बन्ध में राज्य सभा में हमने कहा था प्रधान मंत्री के सचिवालय ने या प्रधान मंत्री के किसी सचिव ने या प्रधान मंत्री के किसी अफसर ने उस पत्र की मूल प्रति न तो मुझ से कभी मानी या न तो उस सम्बन्ध में कभी वह सूचना दी कि उन्होंने कब उसकी जांच करवायी कि यह पत्र जायी है।

मेरे कानून शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते यह कहना चाहता हूँ कि श्रीम. कोठारी का कोई जान-करता जांच के सम्बन्ध से मुझ से कभी नहीं मिला। न तो किसी ने मुझ से पूछा कि यह पत्र धाप को कब कहाँ भेजा गया था। मैं बहुत ही दुःख के साथ यह कहना चाहता

[श्री जनेश्वर मिश्रा]

कि प्रधान मंत्री जी के अन्दर एक भावत विकसित हुईती या रही है कि वह बराबर है। जीभ से बोलती है और जब अपने ही बयान में कहीं फँसती है तब वहाँ से सीधे हट जाती है।

मेरे पास अभी इन्दिरा जी के सम्बन्ध में कई खतों की मूल प्रतियाँ हैं, जैसे एम० प्रो० मचाई, श्रीमती धर्म तेजा जिसमें धर्म तेजा ने लिखा है कि केन्द्रीय सरकार ने जयंती खिर्गिन कम्पनी के साथ श्रीमती गांधी के साथ जा ट्राब्ल-क्लन हुआ था वह काट दिया जाय...'' (अवधान).....

यह मैं राजनारायण जी के पत्र को पढ़ रहा हूँ..... (अवधान).....

अच्छा छोटिये—मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, उक्त पत्र जिसमें प्रधान मंत्री के सचिवालय द्वारा हिन्दासको से 5 लाख रुपये लेकर भविक धन्वोलन नहीं होने देने का आश्वासन दिया गया, उसकी मूल प्रति, श्री कोऽरी के नाम लिखी गई है, जो मैंने आप को कार्यालय में दिखाया था, राजनारायण जी भी वहाँ थे, जिसे मैं आप के सामने पेश कर सकता हूँ।

मैं आप से निवेदन करूँगा—देख और सबल की गरिमा को देखते हुए, अष्टाचार को रोकने के लिये तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये—मेरा आरोप प्रधान मंत्री और सुब्रह्मण्यम पर अष्टाचार का है और इन का आरोप मेरे ऊपर आलसाजी का है—इसलिये मेरे खिलाफ भी विशेषाधिकार

मंग है—इन दोनों के खिलाफ विशेष-अधिकार मं० का-साफ कारण बनता है, इसलिये इस मामले की आप एक सबलवीय संसदीय समिति के द्वारा जांच करायें या विशेषाधिकार समिति के द्वारा जांच करायें—यह मैं बहुत ही नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ।

इस समय जिस तरह से सुब्रह्मण्यम साहब ने कहा था कि मैंने जिस चिट्ठी का हवाला दिया था, उस चिट्ठी को नफरत की निगाह से, तुच्छ निगाह से देखना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो चिट्ठी आप को लिखी है उसके सम्बन्ध में ऐसी कड़ी भाषा बोलूँ कि यह सबन उसको तुच्छ निगाह से देखे। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर इनका बहुत है, जब भी कोई बात आती तो हल्ला मचा कर शेर-शेर कह देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच कराई जाय। जिन्होंने दस्तखत किये हैं उनके सियनेचर्ज को एटैस्ट कराया जाय और जिस तरह से सुब्रह्मण्यम साहब ने राज्य सभा की प्रोसीडिन्स का हवाला दिया है—मैं समझता हूँ कि इस सबन का नियम है कि दूसरे हाउस में क्या हो रहा है, उसकी चर्चा न की जाय,—यहाँ पर जब राज्य सभा में चर्चा हुई तो वहाँ के चैयरमन के नाम कोई खत इन्होंने नहीं लिखा—क्यों नहीं लिखा? जब राजनारायण से यह सवाल उठाया था, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने क्यों यह सवाल नहीं उठाया कि वह खत जाली है और राजनारायण ने ऐसा कोई ओरिजनल नहीं दिया? क्या बंधू हैं कि ऐसा आप के पास ही लिखा?

सुब्रह्मण्यम साहब का कहना है कि इस बात का केवल पांच लाख रुपया— इतनी छ/टी रकम— १ में कहना चाहना है कि सन 1967 में इन्दिरा जी का नेतृत्व इतना कम था कि इस से बड़ी कीमत नहीं भी आ सकती थी, जब उनकी कीमत बढ़ गई है। उस समय कौन उनके निजी सचिव ने इस की जांच होनी चाहिये।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है, अगर मंत्री महोदय इकट्ठा जवाब दें तो अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले उनको पुन लें।

श्री मधु लिमये : वह बाद में जवाब दें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप की तरफ से बें बोल चुके हैं।

श्री मधु लिमये : लेकिन मैंने बाकायदा नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जो नोटिस देते हैं, उनमें से एक को ही बुलाते हैं, जो पहला होता है।

श्री मधु लिमये : जो बात उन्होंने नहीं कही है, मैं बड़ी कहूंगा।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI C. SUBRAMANIAM): You hear me first....

SHRI MADHU LIMAYE: You can give your reply later, after hearing me also.

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। इनमें कई सवाल उत्पन्न होते हैं जिनका जवाब मैं मंत्री जी से चाहूंगा।

(1) क्या मूल पत्र एक खण द्वारा राजनारायण जी के पास में मांगा गया था? उसका अगर सबूत इनके पास हो तो वह सदन के सामने रखें।

(2) क्या ऑरिजिनल लेटर देने से राजनारायण जी ने इन्कार किया था? उसका भी अगर सबूत है तो दें। और जब ऑरिजिनल लेटर राजनारायण जी ने आप को दिखा दिया तो ऐसी हालत में क्या प्रागे काफ़ीवाही होनी चाहिये इसके ऊपर भी आप और सदन विचार करे। मेरी यह राय है कि यह जो ऑरिजिनल लेटर राजनारायण जी ने आपको दे दिया . . .

अध्यक्ष महोदय : वह तो ले गये हैं साथ।

श्री मधु लिमये : मेरी जनसे बान ब्रई है, वह देने के लिये तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा है। तो इसलिये मेरा कहना है कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने जाय, इन के बयान के बाद, और यह ऑरिजिनल लेटर सही है कि नहीं इसकी जांच प्रिविलेज कमेटी करे और एस्पर्ट्स को बुलाया जाय, इस बारे में। और अगर जाती है तो यह सदन और आप माननीय कनेस्वर मिश्र को सजा दें। राज्य सभा भी बें सकती है। लेकिन अगर यह साबित हो गया तो माननीय सुब्रह्मण्यम और प्रधान सचिव, के

[श्री मधु लिमये]

बिनाफ लखत से लखत कार्यवाही हम लोगों को करनी चाहिये। इस मामले को हल्के रंग से हम लोगों को खत्म नहीं करना चाहिये।

Some hon. members rose—

MR. SPEAKER: I am not allowing any debate.

SHRI SHYAMANANDAN MISHRA: On a point of propriety.

MR. SPEAKER: Not at this stage. I am not giving my consent. The Minister.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Mr. Speaker, Sir, this is the letter which the Prime Minister wrote to you. I am reading only the relevant portion:

"Some time ago a photostat copy of the letter which presumably Shri Mishra read in the House was brought to our notice by Shri Raj Narain, MP. I ordered an investigation into the matter which showed that the said photostat copy was a forgery and that no officer of the HINDALCO had ever written such a letter. The results of investigation were communicated to Shri Raj Narain by my Secretariat. When he insisted that the letter was genuine and wanted further probe into the matter, it was suggested to him that, for any further investigation, the original letter would be necessary which might be produced. My Secretariat did not get any reply from Shri Raj Narain."

Therefore, it is not correct to say that no request has been made to Shri Raj Narain to produce the original letter. Now, I am reading the English translation of the Hindi letter written to Shri Raj Narain....

SHRI MADHU LIMAYE: Let us have the original.

SHRI C. SUBRAMANIAM: The original is with Shri Raj Narain. I have got the copy. That is before the Rajya Sabha now. I am reading the English translation of it. This is dated 11th November, 1974.

"Dear Shri Raj Narain, ..

I have received your letter sent in reply to mine of 28th October. You want that the letter written to Shri Kothari on 7th November, 1967, should be probed into further.

As I mentioned in my earlier letter, the photostat sent by you has been investigated and that it does not appear to be genuine. For any further probe, the original will be required. If you could send the original, the question of further action can be considered.

Sd. B. N. Tandon,
Secretary to the Prime Minister."

श्री जनेश्वर मिश्र यह जाली विट्ठी है, कैसे हम विश्वास करें।

SHRI C. SUBRAMANIAM: It was sent on 11th November, 1974 and therefore, the allegation that Shri Raj Narain was asked to produce the original letter and therefore, the question does not arise, all this has been going on false premises. Here is a specific request to him, that, 'If you want any further probe, kindly produce the original'... (Interruptions) There was no reply from Mr. Raj Narain to this letter and even now what the Prime Minister said is that the original letter will be necessary for any further probe.

श्री मधु लिमये अध्यक्ष महोदय, जब प्रधान मंत्री के प्राफिस से पत्र आता है तो हम लोगों का हस्ताक्षर लिया जाता है, यह मैं जानता हूँ। हमेशा बिना हस्ताक्षर के प्रधान मंत्री की विट्ठी कभी हम लोगों को नहीं मिलती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इनका पुराना किस्सा है फिर प्रधान मंत्री ने चेयरमैन, राज्य सभा को क्यों नहीं लिखा ? आप को क्यों नहीं लिखा ?

SHRI C. SUBRAMANIAM: Therefore, there is absolutely no misrepresentation about any fact. The fact is that Shri Raj Narain was asked to produce the original letter if there has got to be any further probe, and no reply was received. I do not see how any privilege question arises out of this. Even now if they produce the letter, there can be a further probe.

SHRI MADHU LIMAYE: Why did you threaten to send Mr. Janeshwar Misra to the Privileges Committee? By all means send him.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: What the hon. Minister has stated just now amounts to saying that a letter was indeed sent to Mr. Raj Narain and he was asked to produce the original. The point for consideration is whether any reliance can be put on the statement made by the hon. Minister...

SHRI B. K. DASCHOWDHURY (Cooh-Behar): Why not?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: I am coming to that. If any letter is sent by any one of us also, the receipt of it is signed by the recipient or anybody on behalf of the recipient.

SHRI S. M. BANERJEE (Karnal): No, no.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : आप जरा मेरी बात श्रावित से धुन लीजिये ।

प्रश्नक नहीं बंध एक मिनट में कहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यम्बर-वन कर प्राये हैं तो अपने कर्तव्य को पालने

करने प्राये हैं । सारो बातों को सुनिबे । यह बात क्या है ?

प्रश्नक नहीं बंध संभव प्रायेगा तब सुनेगे । अभी तो आप ने पीईट प्राक भांडर उठाया है वही कहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बेकार बात कर रहे हैं ?

प्रश्नक नहीं बंध : आप पीईट प्राक भांडर पर प्राह्ये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : हाँ आ रहा हूँ ।

प्रश्नक नहीं बंध : आप जैनटिन्सोन की तरह बात कीजिये । इस तरह क्राउन करने इससे क्या फायदा है । आप ने पीईट प्राक भांडर उठाया है उस पर कहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यही गलत तरीके हैं जिन पर हम कुछ अपना रोष प्रकट करते हैं ।

The point is whether any reliance can be put on the statement made by him and why should not one assume that such a letter has been forged by the Prime Minister's Secretariat? If there is no proof of its receipt by the addressee, then the assumption could be that this is an after-thought and this has been a forged document from which the hon. Minister has read. So, the House has to take that into account.

Now, the point for consideration is—this is a point of propriety too—whether a letter written to you by the Prime Minister in reply to a pointed allegation made by an hon. Member should be read out in this House. That is a point of propriety because the Prime Minister could very well have taken the opportunity of making a statement on the floor

[श्री श्यामनन्दन मिश्र]

of the House contradicting the allegation made by the hon. Member. Instead, the Prime Minister sent a communication to you....

श्री मधु मिश्र : कलिंगस्तान के समय श्री प्रापके प्राफिट को इंस्ट रूमेंट बनाया गया था, यह मैं जानता हूँ ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: ...and the hon. Minister utilised that communication in replying to the point made by him.

Now, you would be confronted, Mr. Speaker, with a very peculiar situation.

MR. SPEAKER: I am always.
(Interruptions)

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: This is a matter of propriety. When we also begin replying to the points made by them through letters addressed to you and we also begin quaffing from those letters, very peculiar situation could be created in the House. You have to give a serious thought to that aspect of the matter also.

Now, Mr. Speaker, the Prime Minister has said in her communication to you that she ordered an investigation into the matter. The person who has been accused had ordered an investigation into the matter. Could anybody in his senses put any faith in that kind of investigation and could the House be asked to believe the results of that investigation? Of course, a person (accused) can very well set up an investigation to her own advantage.

Finally, can an hon. Member.....
(Interruptions)

श्री राजाबतार झालवी (पटना) : केवल एक प्राधमी को यहां बोलने के लिए बर्षानी नहीं है । एक प्राधमी को ही बोलने दिया जाय, यह बात नहीं चलेगी ।

प्रत्यक्ष कहोवच माफ़ नहीं होजे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र प्राप बाद में अपनी बात कहिए ।

श्री राजाबतार झालवी : इन्होंने हाउस की मोबीपोलाइज कर लिया है । वन बाई वन सब को खान्न दीजिए ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: Can an hon. Member of this House, more so the Prime Minister refer to anything that happens in that House? Now the Prime Minister said and the Finance Minister also.....

MR. SPEAKER: This is about the statement.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: She should have referred to the statement made by hon. Janeshwar Misra and not hon. Mr. Raj Narain. This is a very delicate matter that she is referring to. The Prime Minister says that presumably he was reading out from a letter which had been cited by Mr. Raj Narain. What business has the Prime Minister to assume that the hon. member was reading from the said letter which might have been a forged or not a forged letter? Now as the hon. Member said, reference should have been made to the hon. member of this House and not to an hon. member of the other House.

MR. SPEAKER: No debate.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Let Mr. Subramaniam satisfy this House that the letter just now read out was received by Raj Narain. Then we can proceed.

MR. SPEAKER: This is the letter which was addressed to me. This arose—while speaking on the Finance Bill on 2nd May, Janeshwar Misra alleged that Shri S. S. Kothari presented Rs. 5 lakhs to the private Secretary.

This arose out of the statement of a Member of this House and this too while he was speaking on the Finance Bill which Bill the Finance Minister was piloting.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Please do not do like that Mr. Misra. (Interruptions)

This comes to me and I give the direction. It is much more than what he writes to me. He makes a statement in the House itself. What is wrong about it?

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA
No A statement in the House.

MR. SPEAKER: The Minister, instead of writing to me, makes a statement in the House. There is no question of propriety or impropriety and then Mr. Raj Narain comes to me about two or three minutes before I am about to come here. As you know, he was accompanied by our own Member. He showed me something. There was some file also along with the letter in question. I told him, please keep it with you; otherwise, if you give it to me today and tomorrow you say 'It is not the same letter' what will happen? I am not prepared to take the risk. So, I gave that back to both of you, to preserve. If you say later, this letter is not that one which was read out, then, nobody is prepared to spare me also!

श्री एल० एम० बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर है। कितना टाइम बिस्वा जी ने लिया है मैं उसका एक-बीवाई ही लूना। मेरा प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर केवल इतना है कि यह जो प्रिविलेज मोशन 222 में रैज किया गया है और इसके लिए आप को नोटिस दिया गया है।

MR. SPEAKER: Only point of order. I am not allowing any debate.

श्री एल० एम० बनर्जी : मेरी बात सुन लीजिए। प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर रेडी-मे बोर्डे ही होता है।

MR. SPEAKER: Only point of order. I am allowing you because you wanted to raise a point of order.

श्री एल० एम० बनर्जी : मेरी प्वाइंट ऑफ़ ऑर्डर यह है कि आप के सामने एक नोटिस दिया गया और उसमें आरोप सिर्फ़ यह है कि उन्होंने जो बिड्डी पड़ी है उससे यह कहा गया है कि जो सेंटर की फोड्-स्टेट कापी बी है, वह बल्ल है और उन्होंने कहा है कि राज नारायण जी ने उसका प्रोटीजनलवि छाया आपको. . (अवधान). दो मिनट पहले ही दिखाया, उसको वे देने के लिये तैयार हैं। मेरा कहना यह है कि दो मिनट के लिए यह भूल जाएं कि यह प्रिविलेज मोशन है या नहीं, लेकिन मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, उसके बारे में दो मिनटों इतनी सदन की है। मैं आप के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि जनी राम बागड़ी जी ने यहाँ पर प्रोफ़ेसर हमाम् कबीर के ऊपर आरोप लगाए थे और उनकी जांच की गई।

एक सार्वभौमिक कथन : श्री अकलश-बीर शास्त्री जी ने की।

श्री एस. एम. बनर्जी : श्रीमान् जीर शास्त्री जी ने भी । तो मंत्री राम बागडी जी ने जब आरोप लगाए थे, उस समय सदन के अध्यक्ष श्री हुकम सिंह जी थे । उस समय यह अपील की गई थी कि इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे के ऊपर उसके सदन की मर्यादा नहीं होती है । अब 5 लाख रुपया प्राइवेट सेक्टर ने लिया है या नहीं, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि इसकी इंक्वायरी हो । यह जो इंक्वायरी हो, यह सदन की समिति बना कर आप कराएं या फिर आप इसकी इंक्वायरी करें और मैं यह नहीं चाहता कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह के आरोप लें । अगर आरोप जो लगाए गये हैं, वे सही हैं, तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को कान पकड़ कर निकाल देना चाहिए ।

MR. SPEAKER: Mr. Banerjee, this letter is of 1967—that is, 8 years before.

उस बात की बात कहिये ।

श्री जनेश्वर मिश्र : उस समय का प्राइवेट सेक्टर दो घब मेम्बर बन गया है ।

श्री एस. एम. बनर्जी : प्राइवेट सेक्टर में मंत्री भी बन सकता है और प्राइवेट सेक्टर का कोई मायूसी घब नहीं है । प्राइवेट सेक्टर का मंत्री से ज्यादा बढ़ा हुआ है । इसलिये मैं आप से इस पर कर्त्तव्य चार्ज हूँ । इसका आप विधिलेख म.स.न नहीं कर सकते हैं, नो. १२.५५

जाड़ कर आप से निवेदन करता हूँ कि इस सदन की प्रसिद्धि का आप बचाए और अगर श्री जनेश्वर मिश्र ने मन्त जीर्ण कही है और शलत कायम दिये हैं तो रु-जरी का इन के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और इनको डाक से खदे होने चाहिए और आप को सजा देनी चाहिए ताकि ये ब्लै-मेल न करे । लेकिन दलों चीबों-को आप को इन्साफ की तराजू में तोलना चाहिये और त लने के बाद आप इस पर भले ही घाब निर्णय न ले, आप बाद में निर्णय लीजिए । दोनों चीजे बहुत ज्यादा जटिल है और कम से कम देश के मामले सही बात मानी चाहिए ।

MR. SPEAKER: अब इसके बारे में मैं देखूँगा । फिर करेगे इसके बारे में मत ।

Let me consider it later on. Now, Papers laid on the Table.

12.40 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

AMENDMENTS TO AGREEMENT BETWEEN GOVT OF INDIA AND ONGC

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SRI K. D. MALAVIYA): I beg to lay on the Table a copy each of the following amendments (Hindi and English versions) to the Agreement dated the 17th December, 1966 between the Government of India and Oil and Natural Gas Commission under section 42 of the Income-tax Act, 1961:—

(1) Amendment dated the 16th March, 1974.